कार्यालय परियोजना अधिकारी,

एकीकृत बाल विकास परियोजना, तिल्दा, जिला–रायपुर(छ.ग.)

दूरभाष नम्बर–07721–299169 ई.मेल–icdstilda@gmail,com

परिशिष्ट–एक (विज्ञापन)

सह पालना कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

कमांक/584 /मबावि./नियुक्ति/2026–27 तिल्दा, दिनांक ~~05~~ 26.11.2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार पालना केन्द्र के लिये सह पालना कार्यकर्ता पद् रिक्त होने/पद् स्वीकृत होने के कारण इस पद् पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक **26/11/2026 से 10/12/2026** तक निर्धारित आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदिका नीचे दिये गये लिंक अथवा ई–भर्ती साईट के माध्यम से नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है। नियत तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (भर्ती लिंक **https://aww.e-bharti.in/**) आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्त पद् की जानकारी निम्नानुसार है।

क्रमांक	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड तथा नगरी निकाय का नाम	पद् का नाम
01	टण्डवा	सह पालना कार्यकर्ता	टण्डवा	आंगनबाड़ी सह पालना कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी सह पालना कार्यकर्ता/सहायिका पद् पर आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ है–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने के दिनांक से की जावेगी।एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सह पालना कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जावेगी अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऐसी आंगनबाड़ी पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका जिन्हे पुर्व में अनियमितता के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हे सेवा में नहीं लिया जावेगा।

2. आवेदिका उसी ग्राम/उसी वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस ग्राम/वार्ड में पालना आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
3. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें। **अथवा** (2) ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव का संयुक्त हस्ताक्षरित **अथवा** पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा ।
4. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

सह पालना कार्यकर्ता पद हेतु	**12 वीं उत्तीर्ण (पुराना 11 वीं मेट्रिक उत्तीर्ण)**
पालना सहायिका पद हेतु	**8 वीं उत्तीर्ण**

टीप :–उपरोक्तानुसार परियोजना में यदि सह पालना कार्यकर्ता/ पालना सहायिका पद् हेतु कोई आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10 वीं बोर्ड रखी जायेगी इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर 08 वीं उत्तीर्ण एवं उसके उपरान्त भी आवेदिका न मिलने पर 05 वीं उत्तीर्ण योग्यता रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार पद हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा। ग्रामीण परियोजनाओं में कोई शिक्षित आवेदिका न मिलने पर साक्षर महिला की भी नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी/कलेक्टर की अनुमति से की जा सकती हैं। **(08वीं की परीक्षा ग्रेड प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले आवेदिकाओं को ग्रेड प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रधानपाठक द्वारा जारी अंक विवरण तालिका या प्राप्तांक/पूर्णांक का प्रतिशत युक्त विवरण पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में मूल्यांकन नहीं हो सकेगा)।**

5. अनुभवी पालना कार्यकर्ता/पालना सहायिका/सह–सहायिका होने पर **संबंधित परियोजना अधिकारी** द्वारा जारी **अनुभव प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने पर ही अंक दिया जायेगा ।
6. **अनुसूचित जाति/जनजाति** की आवेदिका को **सक्षम अधिकारी द्वारा** जाति प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा, यदि किसी आवेदिका द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाता है, तो यह शपथ–पत्र देना होगा कि छः माह के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी अन्यथा नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।
7. **विधवा महिला** को जन्म/मृत्यु के पंजीयन हेतु विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी **मृत्यु प्रमाण पत्र** (कोई भी शासकीय दस्तावेज) पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
8. **परित्यक्ता महिला** को सरपंच/सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित एवं नगरीय निकाय में नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, पंचनामा सहित अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश। परित्यकता महिला के संबंध में **दो वर्ष से अधिक** की अवधि को ही मान्य किया जायेगा ।

9. **तलाकशुदा महिला** को विवाह विच्छेद होने संबंधी **माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश** की प्रति प्रस्तुत पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावशील सूची से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में सामाजिक आर्थिक एवं जाति **जनगणना 2011 की प्रभावशील सूची** के दर्ज नाम एवं क्रमांक संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना है ।
11. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित **कन्या आश्रम** में आठवीं तक अध्ययन करने संबंधी संस्था का प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

परियोजना अधिकारी
(रंजना ठाकुर)
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 585 /म.बा.वि.परि./नियुक्ति/2026–27
तिल्दा, दिनांक 05.11.2026
26

प्रतिलिपिः–

1.जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–रायपुर(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.)को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)को सादर सूचनार्थ।
4. सभापति, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास समिति जनपद पंचायत तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत/वार्ड पार्षद..... सादर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया ग्राम पंचायत/सार्वजनिक स्थल के सूचना पटल पर चस्पा कर कोटवार से मुनादी कराने का कष्ट करें
6. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती..... सेक्टर ..... को सूचनार्थ कर लेख है कि ग्राम/वार्ड में चस्पा एवं मुनादी कराकर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
7. संबंधित लिपिक खण्ड शिक्षा अधिकारी तिल्दा/खण्ड चिकित्सा अधिकारी तिल्दा के कार्यालय में चस्पा कराकर लिपिक से पावती प्राप्त करें।

कार्यालय नस्ती हेतु।

परियोजना अधिकारी
(रंजना ठाकुर)
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.)